फर्द अहकाम

अज अदालत—न्यायालय जिला कलक्टर—मुकाम—भरतपुर

मन्जू केन बनाम लो.सू.अधि. आयुक्त, नगर निगम भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील **RTI** नम्बर 31... सन् 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
20.06.2024	प्रार्थी/अपीलान्ट मन्जू केन जरिये अधिवक्ता नरेश शर्मा सिविल कोर्ट, भरतपुर की यह अपील आर टी आई के तहत आयुक्त, नगर निगम भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। प्राप्त अपील का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ने आर.टी.आई. 2005 के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र में लोक सूचना अधिकारी आयुक्त, नगर निगम भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण आर.टी. आई. के तहत प्रथम अपील इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। आर.टी.आई. एक्ट 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी आयुक्त नगर निगम भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार मेयर, नगर निगम भरतपुर को है। अतः अपीलार्थी को प्राप्त मूल अपील को लौटाते हुए अपीलार्थी को लिखा जावे कि वह पूर्ण दस्तावेजात संलग्न कर नियमानुसार सीधे ही सक्षमे मेयर, नगर निगम भरतपुर को अपील प्रस्तुत करें। पत्रावली बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर	462 8/7/24 मूल अपील [illegible] वापस की